न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी: नखतदान बारहठ आर ए एस
राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 117 / 2012 / जैसलमेर

अपीलांट

1. श्रीमती सोनी पुत्र मिरणखां, पत्नी श्री हसणखां जाति मुसलमाननिवासी पूनासर तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर(राज)।

रेस्पोडेंटगण

बनाम राजस्थान सरकार जरिये:–
1.श्रीमान उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ जिला जैसलमेर।
2.तहसीलदार, फतेहगढ जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 11 / 2011 बनवान सोनी बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री एम.आर. बारूपाल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:– 21.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता स्वर्गीय मिरण खां पुत्र मोबल खां जाति मुसलमान निवासी पूनासर तहसील फतेहगढ जिला जैलसमेर की पीढियाती कब्जा–काश्त की कृषि भूमि आई हुई है, जो समरी बंदोबस्त में अपीलांट के पिता के नाम खसरा संख्या 04 गुड की डेहरी रकबा 46 बीघा दर्ज थी और जब फाईनल सेटलमेंट हुआ तो इसके पिता के नाम हाल खसरा संख्या 17 गुड की डेहरी वाली रकबा 15.11 बीघा व खसरा संख्या 19 गुड की डेहरी वाली रकबा 41.05 बीघा कुल रकबा 56.16 बीघा जिसमें खसरा संख्या 4 गुड की डेहरी रकबा 46 बीघा अपीलांट के पिता के नाम दर्ज कर दी गई शेष रकबा 15.11 बीघा की कमी की गई। विवादित कृषि भूमि समरी में दर्ज थी, जिसको गलत तरीके से फाईनल सेटलमेंट के दौरान कमी की गई हैं। इस जमीन पर पूर्व में अपीलांट के पिता व बाद में अपीलांट का कब्जा काश्त हैं और बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश या निर्णय के बिना अपीलांट की उक्त कृषि भूमि को बिना किसी आधार के कमी नहीं की जा सकती हैं। जबकि समरी बंदोबस्त में दर्ज इन्द्राज को फाईनल सेटलमेंट में दोहरान चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता स्वर्गीय भिरण खां पुत्र मोबल खां जाति मुसलमान निवासी पूनासर तहसील फतेहगढ जिला जैलसमेर की पीढियाती कब्जा–काश्त की कृषि भूमि आई हुई है, जो समरी बंदोबस्त में अपीलांट के पिता के नाम खसरा संख्या 04 गुड की डेहरी रकबा 46 बीघा दर्ज थी और जब फाईनल सेटलमेंट हुआ तो इसके पिता के नाम हाल खसरा संख्या 17 गुड की डेहरी वाली रकबा 15.11 बीघा व खसरा संख्या 19 गुड की डेहरी वाली रकबा 41.05 बीघा कुल रकबा 56.16 बीघा जिसमें खसरा संख्या 4 गुड की डेहरी रकबा 46 बीघा अपीलांट के पिता के नाम दर्ज कर दी गई शेष रकबा 15.11 बीघा की कमी की गई। विवादित कृषि भूमि समरी में दर्ज थी, जिसको गलत तरीके से फाईनल सेटलमेंट के दौरान कमी की गई हैं। इस जमीन पर पूर्व में अपीलांट के पिता व बाद में अपीलांट का कब्जा काश्त हैं और बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश या निर्णय के बिना अपीलांट की उक्त कृषि भूमि को बिना किसी आधार के कमी नहीं की जा सकती हैं। जबकि समरी बंदोबस्त में दर्ज इन्द्राज को फाईनल सेटलमेंट में दोहरान चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का वाद डिक्री फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राजकीय भूमि का हड़पने की नियत से दावा पेश किया गया है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट के पिता मीरणखां पुत्र मोबलखां के नाम समरी बंदोबस्त में खसरा संख्या 04 गुड की डेहरी रकबा 46 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दर्ज की जिससे फाईनल सेटलमेंट में हाल खसरा संख्या 17 गुड की डेहरी रकबा 15.11 बीघा व खसरा संख्या 19 गुड की डेहरी रकबा 41.05 बीघा कुल खसरे 02 कुल रकबा 56.16 बीघा कायम हुए। इनमें से खसरा संख्या 04 का रकबा 46 बीघा अपीलांट के पिता के नाम दर्ज कर दिया शेष रकबा 15.11 बीघा कमी कर दी। खातेदारी में दी गई 46 बीघा भूमि भी पाक पलायन बताकर सिवाचयक घोषित कर दी जिसकी चाराजोही करने पर सहायक कलक्टर जैसलमेर न तो खारिज कर दी परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपील में निर्णय दिनांक 18.07.2006 को ग्राम पूनासर के खसरा संख्या 17 व 19 में रकबा 46 बीघा पर उसे खातेदार घोषित कर दिया(प्रदर्श–30) खसरा संख्या 17 में शेष कम किया गया रकबा 15.11 बीघा का दावा किया जो अपीलाधीन निर्णय से खारिज कर दिया गया जिसके संबंध में यह हस्तगत अपील प्रस्तुत हुई है। अपीलाधीन निर्णय का परीक्षण किया गया। वाद में दो तनकीयात कायम की गई है। तनकीवार विवेचन किया जाना समीचीन होगा।

तनकी संख्या 01 आया ग्राम पूनासर के वर्तमान खसरा संख्या 16 रकबा 20.16 बीघा भूमि वादिनी के पूर्वजों की कब्जा काश्त की खातेदारी अधिकार की है। जो वादी अपने नाम से खातेदारी में दर्ज कराने की अधिकारी है? (जिम्मे वादिनी)

इस तनकी को साबित करने का भार वादिनी पर है। कम्प्रेटिव रजिस्टर संवत 2021 मौजा पूनासर (प्रदर्श–3) से साबित है कि खसता संख्या 8 में गत (समरी) इन्द्राज में खसरा संख्या 04 गुड की डेरी वाला रकबा 46 बीघा मीरखा पुत्र मोबलखां सा देह खातेदार दर्ज था जिससे वर्तमान खसरा संख्या 17 गुड की डेहरी वाला रकबा 15.11 बीघा तथा खसरा संख्या 19 रकबा 41.05 बीघा कुल रकबा 56.16 बीघा मीरखा वल्द मोबल खां कौम मुसलमान सा देह खातेदार के नाम दर्ज हुआ। परन्तु भू प्रबंध विभाग के खसरा ग्राम पूनासर (प्रदर्श–4) दोनों खसरों का इन्द्राज मीरखां पुत्र मोबलखां के नाम लिखकर बाद में काट दिया और "महकमा कस्टोनिया" के रूप में दर्ज कर दिया। इसका विवरण पर्चा लगान (प्रदर्श–5) में देने हेतु भू प्रबंध विभाग अधिकृत ही नहीं था। उन्हें तो पूर्व की प्रविष्टियों को पुनरावृति मात्र करनी थी परन्तु उन्होने पहले तो मीरणखां के नाम की प्रविष्टि की और बाद में काट कर महकमा कस्टोडियन खातेदार अंकित किया जो पर्चा खतौनी भू प्रबंध विभाग (प्रदर्श–6) के स्पष्ट साबित है। खातेदार मीरणखां पुत्र मोबलखां समरी के खसरा संख्या 4 रकबा 46 बीघा का लगातार खातेदार रहा जो जमाबंदी संवत 2015–18(प्रदर्श–7), संवत 2019–22(प्रदर्श–8), संवत 2026–30 (प्रदर्श–9), तथा खसरा गिरदावरी संवत 2015–18 (प्रदर्श–10), संवत 2019–22 (प्रदर्श–11), संवत 2022–26 (प्रदर्श–12), संवत 2031–34 (प्रदर्श–14) से प्रमाणित है। वादग्रस्त भूमि

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ग्राम पूनासर के खसरा संख्या 16 रकबा 89.18 बीघा में खसरा परिवर्तनशील संवत 2065 (प्रदर्श–16) में 12 बीघा पर हसणखां पुत्र मादयदखां(वादिनी का पति) का कब्जा काश्त रहा हैं। इसी प्रकार खसरा परिवर्तनशील संवत 2067 (प्रदर्श–17) खसरा संख्या 16 में 30 बीघा पर हसणखां का कब्जा काश्त रहा है। खसरा संख्या 16 का कब्जा ट्रेस (प्रदर्श–1) साबित करता है कि उसे वक्त समरी सेटलमेंट खसरा संख्या 04 से बने वर्तमान खसरा संख्या 17 व 19 समीपस्थ (Adjoining) है जिस पर उनका कब्जा काश्त है। उनकी खसरा संख्या 17 व 19 में 46 बीघा भूमि तो दावे और उसके बाद अपील में निर्णय से उनके पक्ष में खातेदारी घोषणा की जा चुकी है परन्तु शेष काटी गई भूमि रकबा 10.16 बीघा की खातेदारी उसके कब्जा काश्त वाली भूमि खसरा संख्या 16 में दी जानी वाजिब है। अतः तनकी संख्या 01 वादिनी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 02 "आया खसरा संख्या 16 रकबा 20 बीघा भूमि को समरी के मुकाबले कमी करने व उसे बिना किसी आधार के सिवायचक करने का सेटलमेंट वालों को अधिकार नहीं था" –(जिम्मे वादिनी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भी वादिनी पर है। वादिनी के पिता के नाम समरी बंदोबस्त एवं वर्तमान बंदोबस्त में खातेदारी रूप में दो खसरों की कुल 56.16 बीघा खातेदारी दर्ज की जाकर बाद में काट कर कस्टोडियन विभाग खातेदार दर्ज कर दी जिसके लिए सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों के पास कोई सक्षम आदेश या कारण नहीं था। इस भूमि को वादिनी के पिता मीरणखां को पाक पलायन माना जाकर भूमि कस्टोडियन दर्ज की जिसे वादिनी ने वाद के जरिये चाराजोही की और अंतत राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय से उसे खसरा संख्या 17 व 19 में 46 बीघा भूमि पर खातेदारी मिली। इस अपील के निर्णय में विद्वान अधिकारी ने माना कि **"अपीलांट(वादिनी) के पिता को अकाल के समय में गुजरात जाना और लंबी अवधि के पश्चात वापस नहीं लोटने से आशंका है कि उनका वहां देहांत हो गया। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता पाकिस्तान नहीं गये हैं।"** इस निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी आधार और बिना कारण वादिनी के पिता की खातेदारी भूमि काटकर कस्टोडियन दर्ज करने से भूल की है। ऐसा करने के लिए वे अधिकृत भी नहीं है। सैटलमेंट द्वारा गलत रूप से बिना किसी आधार के बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के उसको मनमाने तरीके से बदनियती से काटा गया हैं। भू प्रबंध विभाग को वादी की वादग्रस्त आराजी भूमि को कम दर्ज करने का व उसे खातेदार घोषित करने बाद में काट कर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सिवायचक दर्ज करने का कोई प्राधिकार नहीं रहा है। इस अवधाराणा की पुष्टि निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों से होती हैं।

1- Pana V/s Rampal 1969 RRD Page No. 231
"Settlement-Entry in previous settlement to be repeated unless change occurred as result of order of competent authority or succession or transfer. certified by mutation order failure to ascertain how change in subsequent entries occurred without order of competent authority render findings perverse and based on no record.

2- State of Rajasthan V/s Jeth Mal Luniya 1973 RRD Page No. 702
Khatedari rights-Change in Jamabandi entries eld that Khatedari right derogatory to title of recorded Khatedar cannot be conderred by A.S.O. or A.R.O. during settlement operation without competent order abandi entries can be changed only by a competent order passed by a court or panchayat during course of mutation proceeding officer of settlement duptt. cannot change Khatedari right merely because some on else found in possession and Khatedari right cannot be granted to such person by then ASO, not empowered to confer Khatedari right in respect of land recorded in name of another person in record of right on a person in possession in opinion of A.S.O. – Khatedari ruights are acquired by operation of law or by act of parties-Procedure adepted, heldf wholly irregular and illegal where nothing on record to show that Pujari acquired Khatedari right Ref. accepted and enteries, ordered to be replaced.

3- Maladeen V/s Sri ram 1983 RRD Page No. 64
Settlement entries- A.S.O. had no authority to change name of recorded Khatedar without any order of competent court A.S.O. has only to repeat earlier entry of Jamabandi. – 1969 RRD 231 referred-petitioner, held not become khatedar by an illegal act of ASO since enteries made by fraud-petitioner cannot be treated as tenant on basis of such entry.

4- Mst. Landhi V/s Bhura Ram 1983 RRD Page No. 364
Settlement powers of settlement authority – Application for entering land on basis o land possession

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

and a decree of SDO U/s 178 RT Act, accepted by ASO where land was in Khatedari of another person. Held, order of ASO could not be based on decree of competent court since decree of SDO, set aside in review. Settlement authorities have not power to grant Khatedari right settlement aughorities, not empowered to change any entry in previous settlement records unless change occurred as a result of an order of competent authority or acquisition or transfer, certified by mutation order-1980 RRD 48 re-lying on 1969 RRD 231 & 1973 RRD 31 followed 1965 RRD 270, not applicable.

5- Tarsingh & Ors V/s Khet Singh & Ors 2003 RRD Page No. 298

"भू प्रबन्ध विभाग को सैटलमेंट के दौरान मात्र पुरानी प्रविष्ठियों को दोहराने का ही अधिकार हैं न कि उन्हें परिवर्तित किये जाने का। यदि किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश से परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो वो उक्त आधार पर कर सकेगा अन्यथा नहीं। सहायक भू प्रबंधक अधिकारी को न तो किसी के कब्जे काश्त की व खुद काश्त की भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने का अधिकार हैं और न ही गोचर।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर तनकी संख्या 02 वादिनी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्य व उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर वादिनी दावाकृत भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की हकदार ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 11/2011 बनवान सोनी बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2012 को अपास्त किया जाकर अपीलांट को ग्राम पूनासर के खसरा संख्या 16 रकबा 10.16 बीघा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फतेहगढ को आदेशित किया जाता है कि वह तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

21/8/19

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner